केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 303 गुरूवार 28 मई 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

ईद–उल–अजहा की तैयारियां पूरी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। ईद–उल–अजहा (बकरीद) का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर गाँधीनगर स्थित ईदगाह में सुबह 6.30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नगर पालिका ने ईदगाह परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष साफ–सफाई अभियान चलाया है। नमाजियों की सुविधा के लिए पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और आवागमन की सुविधाओं को भी दुरुस्त किया गया है।

प्रेस क्लब महामंत्री को पितृ शोक

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। प्रेस कलब के महामंत्री महेन्द्र तिवारी के पिता दक्षिण दरवाजा के निकट तिवारी टोला निवासी लगभग 78 वर्षीय पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी का बुधवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार अयोध्या के सरयू घाट पर किया गया। अनेक पत्रकारों, सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों ने दुःख व्यक्त करते हुये श्रद्धा सुमन अर्पित किया।

दो पक्षों के विवाद मामले में महिला ने लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

इटवा (सिद्धार्थनगर)। सिद्धार्थनगर जिले के पथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बनगवा पड़ाइन में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच हुआ विवाद अब लगातार गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि दिनांक 19 मई 2026 को गांव में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग ब्राह्मण परिवार के घर में घुसकर मारपीट करने पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए।

बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष का एक व्यक्ति, घटना के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए उसे लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्राह्मण परिवार के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया तथा दो लोगों को जेल भेज दिया।

वहीं दूसरे पक्ष यानी ब्राह्मण परिवार का आरोप है कि उनके परिवार के तीन लोग अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। परिवार की एक महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित महिला ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि केवल मुस्लिम पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि हिंदू पक्ष की शिकायत नहीं लिखी जा रही है।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में उनके परिवार के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही महिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगा रही है।

वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर निष्पक्ष एवं उचित कार्रवाई की जाएगी। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क बना हुआ है।

बकरीद पर हाई अलर्ट, सड़कों पर नमाज की पाबंदी, फोर्स ने किया फ्लैग मार्च

लखनऊ (आभा)। 28 मई को होने वाले बकरीद के त्योहार को लेकर पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। शांतिपूर्ण और सौहाद्रपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मेरठ से लेकर बनारस तक यूपी तक हर जिले में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। यूपी सरकार ने सभी जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर कार्य योजना लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। बकरीद से पहले यूपी में हर जिले में पुलिस–प्रशासन के अधिकारियों ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है। कहीं भी अराजकता का माहौल न हो इसको लेकर जगह–जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए भी पाबंदी लगाई गई है।

बकरीद के अवसर पर गुरुवार को डेढ़ दर्जन संवेदनशील जिलों में सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किये गये हैं। डीजीपी मुख्यालय स्तर से इन जिलों को अतिरिक्त पीएसी भी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच शरारती तत्वों के त्योहार के मौके पर गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरते जताने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने रविवार को कानून–व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल समेत अन्य संवेदनशील जिलों के डीएम व एसपी से सुरक्षा प्रबंधों को लेकर विस्तृत निर्देश दिए थे। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, प्रयागराज समेत अन्य शहरों में मिली–जुली आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। बकरीद को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मेरठ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। एसएसपी के निर्देशन में एसपी सिटी ने थाना कोतवाली और देहली गेट क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया।

पुण्यतिथि पर याद किये गये बालेश्वर प्रसाद, पत्रकारिता में योगदान पर विमर्श

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बांसी (सिद्धार्थनगर)।ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक स्वर्गीय बाबू बालेश्वर प्रसाद के 39वीं पुण्यतिथि के पर संगठन से जुड़े सदस्यों व पदाधिकारियों ने बुधवार को बांसी ब्लॉक सभागार में एकत्रित होकर भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ ही योगदान पर विमर्श किया।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरिजेश धर द्विवेदी के अध्यक्षता में चले कार्यक्रम में उपस्थित तहसील कार्यकारिणी के अधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा स्वर्गीय बाबू बालेश्वर प्रसाद जी के चित्र पर माल्यार्पण करके नमन किया गया। ब्लाक उपाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने कहा कि शहरों के वीआईपी लोगों से पत्रकारिता को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने का जो कार्य इनके द्वारा किया गया है उसका सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल रहा है। पिंकू त्रिपाठी ने कहा प्रदेश ही नहीं देश में स्वर्गीय बालेश्वर जी ने इस संगठन को ग्रामीण पत्रकारिकता के लिए ढाल बना दिया है। कार्यक्रम को अन्य लोगों ने भी संबोधित किया।अंत में अध्यक्षता कर रहे द्विवेदी ने कहा ग्रामीणों मजलूमों की आवाज बाबू बालेश्वर ने अपने समय में सत्ताधीशों तक पहुंचाया।आज हम सबकों उनके ऊपर गर्व है। कार्यक्रम में सोहराब अली,अवधैश दूबे, उमाकांत त्रिपाठी, आशीष श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव,अजय उपाध्याय, राकेश दूबे जमाल अहमद खान, सत्यप्रकाश दूबे रिंकू , विवेक श्रीवास्तव, अरबाज चौधरी के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे।

नवजात के मौत मामले हॉस्पिटल पर मुकदमा दर्ज, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

इटवा (सिद्धार्थनगर) । जिले के इटवा क्षेत्र में संचालित "जनता सेवा हॉस्पिटल" पर नवजात बच्चे की मौत के मामले में आखिरकार इटवा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई । परिजनों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दिया है। मामले की जांच इंस्पेक्टर बृजभान यादव को सौंपी गई है

पीड़ित परिवार का आरोप है कि 23 मई 2026 की रात लगभग 11 बजे प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती महिला को इटवा स्थित जनता सेवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल कर्मचारियों ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि अस्पताल में योग्य महिला डॉक्टर मौजूद हैं, जिसके बाद परिवार ने मरीज को भर्ती करा दिया।

लेकिन आरोप है कि भर्ती के बाद बिना किसी जरूरी जांच, बिना अल्ट्रासाउंड, बिना हार्ट बीट चेक किए और बिना प्रशिक्षित डॉक्टरों की मौजूदगी में ऑपरेशन कर दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि अस्पताल में न तो कोई प्रशिक्षित सर्जन था, न एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और न ही महिला रोग विशेषज्ञ। कथित रूप से अप्रशिक्षित स्टाफ और खुद को डॉक्टर बताने वाले लोगों द्वारा ऑपरेशन किया गया।

ऑपरेशन के बाद जच्चा–बच्चा दोनों की हालत बिगड़ गई। आनन–फानन में रेफर किए गए नवजात की मौत हो गई, जबकि प्रसूता की हालत भी गंभीर बताई गई। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया।

पीड़ित परिवार ने इटवा थाना, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि अस्पताल पहले "सेवा हॉस्पिटल" नाम से सील किया जा चुका था, लेकिन बाद में नाम बदलकर "जनता सेवा हॉस्पिटल" के नाम से फिर संचालित किया जाने लगा।

परिजनों का यह भी आरोप है कि खुद को डॉक्टर बताने वाला राकेश यादव मामले को पैसे लेकर "मैनेज" करने की बात कह रहा था। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ कार्यालय में भी पैसे देकर कार्रवाई दबाने की चर्चा होने का दावा किया गया है।

एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यदि ऐसे कथित अस्पतालों पर समय रहते सख्त कार्रवाई की जाती, तो शायद एक मासूम की जान बच सकती थी। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और अस्पताल को तत्काल सील कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

बढती मंहगाई, परीक्षाओं में धांधली सहित जनहित के 9 सूत्रीय मांगो को लेकर गरजे समाजवादी, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । बुधवार को समाजवादी पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने तपती गर्मी के बीच बढती मंहगाई, पेट्रोल डीजल, सीएनजी के दामों में वृद्धि, यूरिया खाद के संकट, नीट परीक्षा में धांधली, सीबीएसई रीक्षा में सवाल पूंछने पर छात्रों को पाकिस्तानी बता देने, बढती बेरोजगारी, बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर के नाम पर धांधली सहित जनहित के 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सपा जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव के नेतृत्व में राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से भेजा।

ज्ञापन सौंपने के बाद सपा जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने कहा कि अमेरिका, इजराइल, इरान युद्ध के नाम पर देश में सुनियोजित ढंग से मंहगाई को बढाया जा रहा है। परीक्षाओं में धांधली से छात्र परेशान हैं। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। यदि शीघ्र समाधान न हुआ तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ जायेंगी। कहा कि अब तो संघर्ष का ही रास्ता बचा है।

पूर्व विधायक राजमणि पाण्डेय, विधायक राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, कविन्द्र चौधरी अतुल ने कहा कि जनहित के सवालों को लेकर समाजवादी निरन्तर संघर्ष कर रहे हैं किन्तु केन्द्र और यूपी की सरकार चुप्पी साधे हुये हैं। भाजपा नफरत फैला कर बुनियादी सवालों से बच रही है। ऐसे में जनता को आगे आकर संघर्ष तेज करना होगा।

राज्यपाल को भेजे 9 सूत्रीय ज्ञापन में महंगाई, बिजली संकट, कानून व्यवस्था, किसानों के बकाया भुगतान और महिलाओं की सुरक्षा, पेट्रोल–डीजल और घरेलू गैस की लगातार बढ़ती कीमतों सहित जनता से जुड़े अनेक मुद्दे शामिल हैं।

सपा नेताओं ने जिले में हो रही लगातार बिजली कटौती और जले ट्रांसफार्मरों को समय से न बदले जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में बिजली संकट से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तथा बुजुर्गों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। साथ ही जनगणना कार्य में लगाए गए शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी नजदीकी क्षेत्रों में लगाने की मांग की गई, ताकि सीमित ईंधन उपलब्धता के बीच उन्हें राहत मिल सके।

समाजवादी पार्टी ने वाल्टरगंज एवं अठदमा चीनी मिल से जुड़े किसानों और कर्मचारियों के लंबित भुगतान को शीघ्र जारी करने, जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर रोक लगाने, महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की भी मांग की। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी।

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से धीरसेन निषाद, चन्द्र प्रकाश चौधरी, जावेद पिण्डारी, मो. स्वालेह, राम सिंह यादव, अरविन्द सोनकर, युनूस आलम, भोला पाण्डेय, रहमान सिद्दीकी, अखिल यादव, मोनू यदुवंश, मो. सलीम, समीर चौधरी, हिमांशु सिंह 'रानू', रिन्टू यादव, रन बहादुर यादव, मो. सलीम, अरविन्द यादव, राजेन्द्र चौधरी, विजय व्रिकम आर्या, राजाराम यादव, निजामुद्दीन, राजेन्द्र चौरसिया, राहुल सोनकर, विशाल सोनकर, मोहम्मद नसीम, डी.के., सुरेन्द्र सिंह 'छोटे', तूफानी यादव, सुशील यादव, भोलू अंसारी, प्रमोद यादव, प्रशान्त यादव, गुलाब सोनकर, हनुमान चौधरी, राजमोहन चौधरी, अकुर गौतम, रितिक कुमार, कुलदीप मौर्य, सौरभ मिश्र, गौरीशंकर यादव, दिनेश तिवारी, पंकज कुमार गौतम, रमेश गौतम के साथ ही बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

कुवानो की स्वच्छता के लिये चला अभियान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा जनसहभागिता के माध्यम से कुआनों नदी के जीर्णोद्धार एवं सफाई का कार्य प्रारम्भ कराया गया, जिसके क्रम में कुवानों नदी की सफाई कार्य का शुभारम्भ गोसेवा आयोग उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, अध्यक्ष जिला पंचायत संजय चौधरी, विधायक हर्रैया के प्रतिनिधि सरोज मिश्रा, विधायक कप्तानगंज के प्रतिनिधि गुलाब चन्द्र सोनकर द्वारा किया गया। कुआनों नदी की सफाई

कार्य के शुभारम्भ के साथ–साथ वन विभाग द्वारा नदी के तट पर वृक्षारोपण का भी कार्य कराया गया।

इस अवसर पर जनपद के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। कुआनों नदी जनपद में विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत चन्दोखा में प्रवेश करती है, जो विकास खण्ड कुदरहा के लालगंज के संगम घाट में मनोरमा नदी से मिलती है। कुआनों नदी विभिन्न स्थानों पर जलकुम्भी आदि के कारण प्रदूषित है। ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसके अनुसार जनपद में कुल 14 स्थानों पर क्रमबद्ध रूप से सफाई का कार्य किया जायेगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, जनपद मे विभागीय अधिकारियों व जन समुदाय का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उक्त जानकारी डीसी मनरेगा संजय शर्मा ने दी है।

गो सेवा आयोग उपाध्यक्ष और पत्रकार परिवार के बीच भूमि को लेकर विवादः तीखी नोकझोंक

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवनगर तुर्कहिया में भूमि विवाद को लेकर पत्रकार विपिन बिहारी त्रिपाठी के परिवार और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सामने आया है। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया है।

वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्म बहस होती दिखाई दे रही है। जमीन को लेकर चल रहे इस विवाद के दौरान मौके पर कहासुनी शुरू हुई, जो जल्द ही तीखे विवाद में बदल गई। वीडियो में धमकी भरे शब्द भी सुनाई दे रहे हैं। घटना स्थल पर 'गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष' लिखी एक गाड़ी भी मौजूद थी।विवाद के समय दोनों पक्षों के कई लोग मौके पर मौजूद थे। स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराने का प्रयास किया। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पत्रकार विपिन बिहारी त्रिपाठी के परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें डराने और दबाव बनाने की कोशिश की गई। हालांकि, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला की ओर से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

डायट में नवनिर्मित सरस्वती मंदिर में सुंदरकांड पाठ, भंडारे का आयोजन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में मां सरस्वती के नवनिर्मित मंदिर एवं ज्येष्ठ माह के चौथे मंगलवार के उपलक्ष्य में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकगण, प्रशिक्षु शिक्षकों, कर्मचारियों एवं क्षेत्रीय श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। कार्यक्रम का शुभारंभ डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल द्वारा नवनिर्मित मां सरस्वती मंदिर में पूजन–अर्चन के उपरांत हुआ। डायट प्राचार्य सहित समस्त प्रवक्ताओं, शिक्षकों व प्रशिक्षुओं ने मां शारदे की आराधना कर विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद परिसर में सामूहिक हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ किया गया। पूरे परिसर में भक्ति संगीत, मंत्रोच्चार और जयकारों से आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने माता सरस्वती और भगवान हनुमान से सुख–समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की प्रार्थना की। धार्मिक अनुष्ठान के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। डायट प्राचार्य ने कहा कि बड़े मंगल का दिन सेवा और समर्पण का प्रतीक है। शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक

–बच्चों में धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करें शिक्षक– संजय शुक्ल

सरोकारों से जुड़ना भी हमारा दायित्व है। भंडारे जैसे आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि संस्कार और भक्ति भाव जगाना भी है। कहा कि मां सरस्वती का मंदिर संस्थान में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों में भी धार्मिक–सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करें। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डायट के प्रवक्तागण, शिक्षक, कार्यालय स्टाफ एवं डीएलएड प्रशिक्षुओं ने विशेष सहयोग किया। आयोजन समिति के सदस्यों ने सुबह से शाम तक व्यवस्था संभाली। भंडारा देर शाम तक चलता रहा।

इस अवसर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक आनंदकर पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह, बीएसए अनूप कुमार तिवारी, बीएसए संतकबीरनगर अमित सिंह, डॉ गोविन्द, डॉ रविनाथ, कल्याण पाण्डेय, वर्षा पटेल, सरिता चौधरी, वंदना चौधरी, अलीउद्दीन, इमरान, शशि दर्शन त्रिपाठी, नवनीत, रमाकांत डीएलएड प्रशिक्षु ज्ञानेंद्र, चंदन मिश्रा, अरुण, सौरभ, विजय कुमार, सिद्धांत, अम्बिका आदि उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 28 मई 2026 गुरूवार

सम्पादकीय

एसआईआर पर सुप्रीम फैसला

उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) को पूरी तरह वैध और संवैधानिक घोषित कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे निष्पक्ष एवं शुद्ध मतदाता सूची सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार है। न्यायालय ने यह भी कहा कि विशेष परिस्थितियों में सामान्य प्रक्रिया से भिन्न तरीका अपनाना न तो संविधान के विरुद्ध है और न ही किसी कानून का उल्लंघन। इस प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि विशेष गहन पुनरीक्षण सामान्य संशोधन प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। किंतु उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मांगे जाने वाले 11 प्रकार के दस्तावेजों का समूह मनमाना नहीं है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अपने आदेश के माध्यम से आधार कार्ड को भी स्वीकार्य दस्तावेजों में शामिल किए जाने के पश्चात याचिकाकर्ताओं की आपत्ति का कोई आधार नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के उस नैरेटिव की हवा निकाल दी, जिसमें वह एसआईआर को लोगों की नागरिकता छीनने का टूल बताकर प्रोपेगैंडा कर रहा था।

सुप्रीम कोर्ट के 27 मई को सुनाए गए निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि उच्चतम न्यायालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के उस सबसे बड़े तर्क को सीधे खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि यह प्रक्रिया पिछले दरवाजे से नागरिकता जांच करने का एक षड्यंत्र है। याचिकाकर्ताओं और विभिन्न विपक्षी दलों की यह आशंका थी कि मतदाता सूची से नाम हटाकर वास्तव में किसी की नागरिकता पर प्रश्नचिह्न लगाया जा रहा है। न्यायालय ने इस सोच को पूरी तरह गलत करार दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता के प्रश्न को केवल इस सीमित दायरे में देख सकता है कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं। चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं है, यह एक पूर्णतः भिन्न और अलग प्रक्रिया है। यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है, तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह भारत का नागरिक नहीं रहा। नागरिकता और मतदाता सूची में नामांकन दो अलग–अलग विषय हैं और इन्हें एक नहीं माना जा सकता।

न्यायालय के इस विश्लेषण ने विपक्ष की उस रणनीति को बड़ा झटका दिया, जिसके अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण को लोगों में भय और असुरक्षा फैलाने का माध्यम बनाया जा रहा था। विशेष रूप से अल्पसंख्यक और प्रवासी मतदाताओं में यह धारणा बनाई जा रही थी कि इस अभियान के माध्यम से उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे और उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। न्यायालय ने इस भ्रम को पूरी तरह निर्मूल कर दिया। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आरंभ होते ही विपक्षी दलों ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस प्रक्रिया पर कड़े प्रहार करते हुए कहा था कि यह गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को मतदान से वंचित करने की सोची–समझी योजना है। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास कागज–पत्र नहीं हैं, उनके नाम काट दिए जाएंगे और इस तरह लाखों वंचित मतदाता अपने मताधिकार से हाथ धो बैठेंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस प्रक्रिया की आलोचना करते हुए इसे संविधान की भावना के विरुद्ध बताया था। उनका कहना था कि लोकतंत्र में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पारदर्शी और सर्वस्वीकृत होनी चाहिए, न कि एकतरफा और मनमाने तरीके से लागू की जानी चाहिए। वामपंथी दलों ने भी न्यायालय में इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं का समर्थन किया था और कहा था कि यह पूरा अभियान संदिग्ध है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि यह सत्ता पक्ष के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास है। उन्होंने मांग की थी कि इस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। किंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अब विपक्ष के ये सभी तर्क न्यायिक दृष्टि से निराधार सिद्ध हो गए हैं। न्यायालय ने न केवल इस प्रक्रिया को संवैधानिक करार दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदाता सूची सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। इस निर्णय के बाद विपक्ष के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करना अब बेहद कठिन हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस निर्णय से बिहार चुनाव की पूर्व–संध्या पर चुनाव आयोग की साख को बल मिला है। अब तक विपक्ष यह दावा कर रहा था कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण ढंग से काम कर रहा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने आयोग की स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि कर उस आरोप को भी कमजोर कर दिया है।

यह निर्णय इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि न्यायालय ने अपनी टिप्पणियों में बहुत स्पष्टता के साथ यह रेखा खींच दी कि मतदाता सूची में नाम होना और नागरिक होना, ये दोनों अलग–अलग प्रश्न हैं। यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटता है, तो उसके नागरिक अधिकार उससे नहीं छिनते। वह व्यक्ति आवश्यक प्रक्रिया के माध्यम से पुनः अपना नाम सूची में दर्ज करा सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य केवल मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है। मृत व्यक्तियों के नाम, एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नाम और फर्जी प्रविष्टियां हटाना इस प्रक्रिया का मूल लक्ष्य है। आयोग का कहना है कि यदि मतदाता सूची शुद्ध नहीं होगी, तो चुनाव की विश्वसनीयता पर ही प्रश्नचिह्न लग जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और याचिकाकर्ता मनोज झा, जो प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, ने फैसले पर कहा कि न्यायालय का आदेश स्वीकार है, लेकिन चिंता बरकरार रहेगी। हम न्यायपालिका के सम्मान को स्वीकारते हैं, पर जो भय हमारी सामुदायिक जमीन पर फैला था, उसे समझने की जरूरत है। आयोग से अनुरोध है कि वह पारदर्शिता, संवेदनशीलता और व्यापक जन–सहभागिता सुनिश्चित करे, ताकि कमजोर वर्गों के मताधिकार सुरक्षित रहें। झा ने यह भी कहा कि वे और उनकी पार्टी कानूनी विकल्पों और जन–आंदोलन दोनों के जरिए दबाव बनाए रखने का अधिकार रखती है। उन्होंने आयोग से आपत्तियों के निराकरण के लिए आसान रेमेडी और ग्रिवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की मांग दोहराई।बहरहाल, उच्चतम न्यायालय का निर्णय तकनीकी तौर पर चुनाव आयोग को एक मजबूत वैधानिक कवच देता है और एसआईआर को जारी रखने का रास्ता साफ करता है। पर राजनीतिक पटल पर यह फैसला केवल एक चेकमेट की तरह काम करेगा, जहां न्यायिक पुष्टि के बाद भी मैदान पर सियासी दल अपने नैरेटिव में, जमीन पर काम और वोटर–कनेक्शन को लेकर नए आयाम तलाशेंगे।

बेटी पढ़ा तो लो मगर बचाएं कैसे?

—क्षमा शर्मा—

क्या बेटी पालने में बेटे पालने के मुकाबले, कम संसाधन खर्च होते हैं। इन दिनों जब शहरी परिवारमात्र एक–दो बच्चों तक ही सीमित हैं, तब बेटियों की शिक्षा–दीक्षा पर भी बेटे की तरह ही खर्च होता है, लेकिन अब भी वे दोयम दर्जे की नागरिक हैं। नारा लगाते रहिए कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ।

पिछले दिनों से त्विशा शर्मा का केस चर्चा में है। एक दिन में ही अखबारों के कुछ शीर्षक देखिएकृ संदिग्ध हालत में महिला की मौत। त्विशा–दीपिका की मौत ने दिखाया आईना। विनोद नगर में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत आदि–आदि। ऐसी खबरें रोज आती हैं। एक महिला कमांडो तक की पीट–पीटकर हत्या की जा चुकी है। एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों की मानें, तो दहेज हत्या के मामलों में दिल्ली सबसे आगे फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक का नम्बर है।

पिछले कुछ सालों से तो लगता था कि अब देश में बहुत बदलाव हो गया है। शादियां समानता के आधार पर हो रही हैं। इसका बड़ा कारण लगता कि चूंकि लड़कियां पढ़–लिख गई हैं, तो वे स्वयं भी ऐसे युवकों से विवाह करने से मना कर देती हैं, जिनके परिवार उन्हें अपने अनुकूल नहीं लगते। ऐसे बहुत से विवाह होते भी देखे हैं। आसपास ऐसे कई परिवार भी रहते हैं, जहां लड़कियां विवाह के बाद संयुक्त परिवारों में रहती हैं, कोई लड़ाई–झगड़ा भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अब सोचती हूं कि जो दिखता है, वही सच नहीं होता। उसके पीछे भी बहुत कुछ छिपा रहता है।

अक्सर हम मध्यवर्ग के लोग हर बात अशिक्षा से जोड़ देते हैं कि फलां ने ऐसा इसलिए किया होगा कि परिवार शिक्षित नहीं था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन त्विशा के मामले पर नजर डालें, तो उसके ससुराल में सब पढ़े–लिखे थे। सास रिटायर्ड जज, पति आपराधिक मामलों का वकील। फिर भी जब इस लड़की ने आत्महत्या कर ली, तो इसकी पहली सूचना उसके परिवार वालों को नहीं दी गई, बल्कि सास अपने जान–पहचान वालों से बातचीत करती रही। छियालीस फोन किए गए। एम्बुलेंस और पुलिस को फोन नहीं किया गया। यही नहीं सास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए, वे, वे ही थे जिन्हें आम तौर पर लड़कियों के चरित्र हनन के लिए लगाया जाता है। जैसे कि वह ड्रग एडिक्ट थी। एक दिन के लिए घर से बाहर चली गई थी। उसने गर्भपात करा लिया था। वह खाना नहीं बनाती थी। पौधों को पानी नहीं देती थी। शादी से पहले हमारे घर भी आई थी। ऐसे कौन अपने होने वाले ससुराल में आता है। वह अस्सी किलो की थी। उसे सीढ़ियों से उतारना कितना मुश्किल था। मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह गोल्ड डिगर यानी कि पैसे की लालची थी। उसने मुझे दादी होने का सुख नहीं दिया।

ये बातें कोई ग्रामीण स्त्री नहीं कह रही है, एक रिटायर्ड जज कह रही है। सोचिए कि यदि इनके कोर्ट में ऐसे मुकदमे आते होंगे, तो इनका निर्णय क्या होता होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत से निर्णय कहते हैं कि स्त्री अगर बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती, तो उसके फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। शरीर उसका है, उस पर उसी का अधिकार है। यह भी कि आप पत्नी लाते हैं, कोई मेड नहीं कि खाना न बनाना तलाक का कारण बन सके।

त्विशा पैसे कमाती थी। नोएडा से भोपाल जाने पर उसके बहुत से काम छूट गए थे। इस पर भी उसे ताने सुनने पड़ते थे। यानी कि एक स्त्री पैसे कमाए, उसे अपने पति के परिवार को सौंप दे। घर का काम करे। खाना बनाए। सबकी सेवा करे। किसी और से कभी बातचीत तक न करे, नहीं तो उसके चरित्र पर सवाल उठाने का अधिकार, हर ऐरे–गैरे नत्थू खैरे को मिल जाएगा। कई वकीलों ने कहा भी कि ये आरोप तो स्त्रियों पर सदा से लगते आए हैं।

सोचने की बात है कि शादी करते ही आखिर लड़कियों के ऊपर ही सारा बोझ क्यों लाद दिया जाता है। इन दिनों ऐसे वीडियोज और रील्स की भरमार है, जिनमें ऐसा न करने पर पत्नी को पति घर से निकालने और तलाक की धमकी देते पाए जाते हैं। एक तरफ तो ये वीडियोज समाज में फैली असलियत को बताते हैं, मगर दूसरी तरफ बहुत से लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करते होंगे। आखिर लड़कियां ही क्यों घर से निकाली जाएं। वे ही क्यों तरह–तरह के लांछन झेलें। यदि प्रतिवाद करें, तो मारी जाएं और यदि चुपचाप सहती रहें, तो खुद जान दे दें।

ग्रेटर नोएडा में रहने वाली दीपिका के पिता तो कुछ देर पहले ही उससे मिल कर गए थे। और कुछ ही देर में उसकी मौत की खबर आई। उसके भाई ने कहा कि अगर हमने बहन की सुनी होती और उसे घर ले आए होते, तो शायद बहन जिंदा होती। आम तौर पर लड़कियों के घर वालों की यही कहानी होती है। जो समाज उनकी परेशानियों में कभी कोई हिस्सा नहीं बंटाता, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, परिवार अपनी ही लड़कियों को वधिकों के हाथों छोड़ देते हैं। अपनी लड़कियों को ही सहने और एडजेस्ट करने की सीख देते हैं। आपकी लड़की की जान चली जाती है, समाज का कुछ नहीं जाता। त्विशा भी अपनी मां को बताती रही कि वह गलत जगह फंस गई है, लेकिन उसकी मां उससे कहती रही कि अपनी सास से बात करो। सब ठीक हो जाएगा।

इन दोनों लड़कियों और इन जैसी बहुत–सी स्त्रियों की जान चली जाती है। यह बात भी महसूस होती है कि लड़कियां जैसे ही किसी घर की बहू बनती हैं, किसी की पत्नी कहलाती हैं, उनका जीवन गिरवी रख दिया जाता है। वे हमेशा किसी न किसी से दया मांगती रहे। एक ऐसा ऑडियो भी सामने आया है जिसमें त्विशा के भाई से बात करते हुए उसकी सास उसके चरित्र पर शक कर रही है। यह सास फिल्मों वाली ललिता पंवार नहीं है, लेकिन बहू की मौत पर मजाल है कि एक आंसू भी आया हो। बहू का मरना भी कोई मरना होता है। एक मरती है, दूसरी आ जाती है।

जब यह लेखिका बहुत छोटी थी, दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, तब इसके पिता कन्नौज रेलवे स्टेशन पर पोस्टेड थे। उन दिनों घर लौटकर अक्सर वे इस बात की सूचना देते थे कि आज फलां ने अपनी तीसरी बहू मार दी कि एक और ने अपनी पत्नी को मार दिया और दस दिन बाद ही दूसरी शादी भी कर ली। फिर अपनी तीन बेटियों के लिए बहुत चिंतित भी होते। यह भी कहते कि दूसरी पत्नी के माता–पिता ये सवाल कभी क्यों नहीं पूछते कि पहली पत्नी कैसे मरी। यदि पूछते होते, तो शायद ऐसे घर में अपनी बेटी को कभी न देते। आज भी बेटियों की तो किस्मत में ही ये लिखा है कि अपने घरों में वे जन्म से पहले ही भाई की चाहना में प्राण गंवाएं और ससुराल चली जाएं, तो न जाने कितने आरोप और वधिक उनके लिए तलवार लिए बैठे हैं।

यों भी क्या बेटी पालने में बेटे पालने के मुकाबले, कम संसाधन खर्च होते हैं। इन दिनों जब शहरी परिवारमात्र एक–दो बच्चों तक ही सीमित हैं, तब बेटियों की शिक्षा–दीक्षा पर भी बेटे की तरह ही खर्च होता है, लेकिन अब भी वे दोयम दर्जे की नागरिक हैं। नारा लगाते रहिए कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ।

—लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं।

बदलते समय में मटके का पानी

—डॉ. सत्यवान सौरभ—

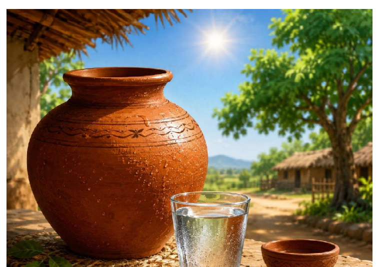

भीषण गर्मी के दिनों में जब सूर्य की तपिश धरती को झुलसाने लगती है, तब एक घूंट ठंडा पानी जीवन का सबसे बड़ा सुख प्रतीत होता है। आधुनिक जीवनशैली में फ्रिज, एयरकंडीशनर और बोतलबंद पानी ने हमारे घरों में स्थायी जगह बना ली है, लेकिन इन सबके बीच मिट्टी के मटके का महत्व आज भी कम नहीं हुआ। गाँवों की चौपालों से लेकर शहरों की बालकनियों तक, मटके का पानी आज भी अपनी सौंधी खुशबू और प्राकृतिक ठंडक के कारण लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यह केवल पानी रखने का साधन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक समझ और प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली का प्रतीक है।

भारतीय समाज में मटके का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना सीखा था। वे जानते थे कि हर समस्या का समाधान प्रकृति में ही छिपा है। इसलिए गर्मी से राहत पाने के लिए उन्होंने मिट्टी के घड़ों का प्रयोग आरंभ किया। उस समय न बिजली थी, न फ्रिज और न आधुनिक तकनीक, फिर भी लोग स्वस्थ रहते थे क्योंकि उनकी जीवनशैली प्राकृतिक थी।

मटके का पानी वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। मिट्टी के घड़े में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे पानी का थोड़ा–थोड़ा वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है और पानी स्वाभाविक रूप से ठंडा हो जाता है। यह ठंडक कृत्रिम नहीं होती, बल्कि शरीर के अनुकूल होती है। फ्रिज का अत्यधिक ठंडा पानी अचानक शरीर के तापमान को प्रभावित करता है, जिससे गला खराब होना, खांसी, जुकाम और पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। इसके विपरीत मटके का पानी शरीर को धीरे–धीरे शीतलता प्रदान करता है।

मिट्टी में प्राकृतिक क्षारीय तत्व पाए जाते हैं, जो पानी के साथ मिलकर शरीर के चभ स्तर को संतुलित रखने में सहायता करते हैं। आज के समय में लोगों का खानपान अधिकतर अम्लीय हो गया है। फास्ट फूड, तले हुए पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स और अनियमित जीवनशैली के कारण एसिडिटी, गैस और अपच जैसी समस्याएँ सामान्य हो गई हैं। मटके का पानी इन समस्याओं को कम करने में सहायक होता है। यह पेट को ठंडक देता है और पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है।

डॉक्टरों का मानना है कि गर्मी के मौसम में शरीर से पसीने के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी और खनिज बाहर निकल जाते हैं। यदि समय पर इनकी पूर्ति न हो तो शरीर में कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। मटके का पानी शरीर को प्राकृतिक रूप से हाइड्रेट रखता है और आवश्यक खनिजों की पूर्ति में मदद करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाले किसान आज भी मटके का पानी पीना पसंद करते हैं।

मटके के पानी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राकृतिक शुद्धता है। आधुनिक समय में प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। गर्मी में जब ये बोतलें धूप के संपर्क में आती हैं, तो इनमें मौजूद हानिकारक रसायन पानी में मिल सकते हैं। वैज्ञानिक शोधों में यह बात सामने आई है कि प्लास्टिक में मौजूद ठच। जैसे तत्व स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा, बोतलबंद पानी की गुणवत्ता भी हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। दूसरी ओर, मिट्टी का घड़ा पूरी तरह प्राकृतिक होता है और उसमें किसी प्रकार का रासायनिक खतरा नहीं होता।

फ्रिज के पानी की तुलना में मटके का पानी अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। अत्यधिक ठंडा पानी कई बार शरीर के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। भोजन के तुरंत बाद बहुत ठंडा पानी पीने से पाचन धीमा हो जाता है। वहीं मटके का पानी संतुलित तापमान पर रहता है, जिससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेद में भी अत्यधिक ठंडे पानी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है, जबकि मिट्टी के घड़े के पानी को लाभकारी माना गया है।

गर्मी में लू लगना भारत में एक गंभीर समस्या है। तापमान बढ़ने पर शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और व्यक्ति बेहोशी, उल्टी, सिरदर्द तथा कमजोरी का शिकार हो सकता है। मटके का पानी शरीर को अंदर से ठंडा रखता है और लू से बचाव में सहायक होता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा पसीने के माध्यम से अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने में मदद करता है। यही कारण है कि पुराने समय में घरों, धर्मशालाओं और सार्वजनिक स्थानों पर यात्रियों के लिए मटकों में पानी रखा जाता था।

मटके के पानी का एक महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा है। आज पूरी दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। हर वर्ष करोड़ों प्लास्टिक बोतलें कचरे के रूप में नदियों और समुद्रों में पहुँचती हैं। ये पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचाती हैं। इसके विपरीत मिट्टी का मटका पूरी तरह जैविक और पर्यावरण अनुकूल होता है। इसके निर्माण में किसी प्रकार के रसायन या मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। जब मटका पुराना हो जाता है, तब वह मिट्टी में मिलकर पुनः प्रकृति का हिस्सा बन जाता है।

मटके का उपयोग ग्रामीण कारीगरों और कुम्हारों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। आधुनिकता के दौर में प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों के बढ़ते उपयोग ने कुम्हारों के पारंपरिक व्यवसाय को प्रभावित किया है। यदि लोग फिर से मटकों का उपयोग बढ़ाएँ, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एक साधारण मटका केवल पानी ठंडा नहीं करता, बल्कि एक कारीगर के घर का चूल्हा भी जलाता है।

भारतीय संस्कृति में मिट्टी का विशेष महत्व रहा है। मिट्टी को माँ के समान माना गया है, क्योंकि वही हमें अन्न देती है और जीवन का आधार बनती है। मिट्टी के घड़े का पानी पीना केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। जब कोई व्यक्ति मटके का पानी पीता है, तो उसे एक अलग प्रकार की संतुष्टि और अपनापन महसूस होता है। मिट्टी की सौंधी सुगंध मन को शांति देती है और बचपन की यादों को ताजा कर देती है।

आज के समय में लोग आधुनिकता की दौड़ में प्राकृतिक जीवनशैली से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट और कृत्रिम सुविधाओं के बीच मनुष्य का संबंध प्रकृति से कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे समय में मटके का पानी हमें यह याद दिलाता है कि सादगी में भी सुख छिपा होता है। प्रकृति के साथ जुड़कर ही मनुष्य स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकता है।

हालाँकि, मटके का उपयोग करते समय कुछ सावधानियाँ भी आवश्यक हैं। मटके को नियमित रूप से साफ करना चाहिए ताकि उसमें गंदगी या बैक्टीरिया न पनपें। पानी को अधिक दिनों तक एक ही मटके में नहीं रखना चाहिए। यदि मटका पुराना या टूटा हुआ हो जाए, तो उसे बदल देना चाहिए। स्वच्छता बनाए रखने से ही मटके का पानी पूरी तरह लाभकारी बनता है।

आजकल शहरों में भी मिट्टी के घड़ों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग अपने घरों और कार्यालयों में मटका रखने लगे हैं। कई रेस्टोरेंट और होटल भी ग्राहकों को मटके का पानी परोस रहे हैं। यह परिवर्तन दर्शाता है कि लोग अब स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी प्राकृतिक जीवनशैली अपनाने पर जोर दे रहे हैं।

सीजेपी की लोकप्रियता के निहितार्थ

— कमलेश पाण्डेय—

कॉकरोच जनता पार्टी जैसे व्यंग्यात्मक डिजिटल पेज को लाखों लाइक मिलना केवल इंटरनेट–मजाक नहीं माना जा सकता, बल्कि यह कई गहरे सामाजिक–राजनीतिक संकेत देता है– खासकर युवाओं, मध्यम वर्ग और डिजिटल समाज की मानसिकता के बारे में। यही वजह है कि केंद्र–राज्यों में सत्तारूढ़ दलों और नागरिक प्रशासन को सावधान हो जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें अगली जेन–जी क्रांति के साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है।

बताया जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी अशोभनीय थी, जिससे अब खुद भी वो मुकर चुके हैं, लेकिन उनकी उक्ति ने सत्ता प्रतिष्ठान की सोच को उजागर करके लोगों को भड़काने का काम किया है, और शायद विपक्षी दलों के हिमायती लोग और उनकी समर्थक युवा पीढ़ी इसी मौके की तलाश में थी, जो कॉकरोच जनता पार्टी जैसे व्यंग्यात्मक डिजिटल पेज के सृजन और उसको मिले लाखों लाइक से स्पष्ट होती है। इसे केवल इंटरनेट–मजाक समझने की बजाए इस असंतोष की जड़ में जाना होगा।

पहला, व्यवस्था के प्रति बढ़ती निराशा–हताशारू जब बड़ी संख्या में लोग किसी व्यंग्यात्मक या मीम–आधारित राजनीतिक पेज से जुड़ते हैं, तो इसका अर्थ होता है किरू लोग पारंपरिक राजनीति से असंतुष्ट हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी समस्याएँ नहीं सुनी जा रहीं, और वे गुस्से को हास्य, व्यंग्य और डिजिटल ट्रेंड के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी सड़क से पहले सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देती है, मीम, रील, ट्रोलिंग और व्यंग्य को राजनीतिक अभिव्यक्ति का माध्यम बना चुकी है। इसलिए ऐसे पेज "डिजिटल जनमत" का संकेत बन जाते हैं।

ऐसे प्लेटफॉर्मों की लोकप्रियता अक्सर इन मुद्दों से जुड़ती हैरू बेरोजगारी, परीक्षा पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, महंगाई, और अवसरों में असमानता। लिहाजा, जब युवाओं को लगता है कि मेहनत के बावजूद व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है, तब व्यंग्यात्मक आंदोलन लोकप्रिय होने लगते हैं।

चौथा, राजनीतिक दलों पर भरोसे में गिरावटरू यह संकेत भी माना जा सकता है कि कुछ युवाओं को मुख्यधारा के दलों में अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा, वे "एंटी–एस्टैब्लिशमेंट" भावनाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यानी वे सीधे किसी पार्टी का समर्थन नहीं, बल्कि "सिस्टम विरोधी भावना" व्यक्त कर रहे हैं। इतिहास बताता है कि कई बड़े आंदोलन पहले सोशल मीडिया ट्रेंड के रूप में शुरू हुए, और बाद में वे वास्तविक राजनीतिक दबाव में बदल गए। हालाँकि हर वायरल ट्रेंड आंदोलन नहीं बनता, लेकिन यह "सामाजिक तापमान" अवश्य दिखाता है।

छठा, हास्य अब राजनीतिक हथियार बन चुका हैरू पहले राजनीतिक विरोध भाषण, धरना, पोस्टर तक सीमित था। अब मीम, पैरोडी, व्यंग्यात्मक नाम, वायरल वीडियो भी जनभावना को प्रभावित कर रहे हैं।

सातवां, भारत में "डिजिटल क्रांति" का संकेतरू यह भी माना जा सकता है कि भारत में असंतोष फिलहाल संगठित सड़क आंदोलन से ज्यादा, डिजिटल संस्कृति में दिखाई दे रहा है। यानी भारत का जेन–जेड (ळमद–्) पहले "ऑनलाइन राजनीतिक चेतना" बना रहा है। लेकिन सावधानी भी जरूरी सोशल मीडिया की लोकप्रियता हमेशा वास्तविक जनसमर्थन के बराबर नहीं होती। जानकारों की मानें तो कई बार एल्गोरिद्म, ट्रेंडिंग संस्कृति, मनोरंजन, और क्षणिक गुस्सा भी किसी पेज को वायरल बना देते हैं।

पोती का शव लेकर जा रही दादी की मौत, दादा का हाथ कटकर लटका, तेज रफ्तार ऑटो डीसीएम में घुसा

संवाददाता–गोण्डा। तेज रफ्तार ऑटो और डीसीएम की टक्कर में नवजात पोती का शव लेकर जा रही दादी की मौत हो गई। एक बुजुर्ग का हाथ कटकर अलग हो गया। हादसे में मृत महिला की बहू और एक आशा कार्यकर्ता भी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी। हादसा मंगलवार रात 11 बजे देहात कोतवाली क्षेत्र के बालपुर जाट के पास हुई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से महिला को लखनऊ रेफर कर दिया गया। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर अमरहा के सिकिहा गांव निवासी अर्जुन तिवारी प्राइवेट जॉब करते हैं। उनकी पत्नी सविता (35) गर्भवती थीं। पत्नी को डिलीवरी के लिए अर्जुन ने गोंडा के जिला महिला अस्पताल में सोमवार को भर्ती कराया था। उनके साथ अस्पताल में चाची मीरा देवी (65) और आशा कार्यकर्ता पुष्पा सिंह (32) थीं। मंगलवार देर शाम सविता ने एक बच्ची को जन्म दिया था। हालांकि, खून की कमी के कारण नवजात की हालत बिगड़ गई। रात में ही नवजात की मौत हो गई। इसके बाद मीरा देवी, बहू सविता, आशा कार्यकर्ता के साथ नवजात का शव लेकर ऑटो से अपने घर सिकिहा गांव लौट रही थीं। रास्ते में करनलगंज के रहने वाले देवी दयाल तिवारी (67) भी ऑटो में बैठ गए। आरोप है कि ऑटो चालक मोहम्मद उस्मान उर्फ करिया नशे में था। ऑटो बालपुर जाट गांव के पास सड़क किनारे एक खड़ी डीसीएम में जा घुसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में पीछे वाली सीट पर किनारे बैठी मीरा देवी का दाहिना हाथ डीसीएम के एंगल से कटकर अलग हो गया। वो उछलकर नीचे आ गिरीं। ड्राइवर के पास आगे बैठे देवी दयाल का भी दाहिना हाथ कटकर लटक गया। मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने घायलों को उठाया और एंबुलेंस बुलाई। इस दौरान करीब आधे घंटे तक मीरा देवी सड़क पर तड़पती रहीं। सभी घायलों को तत्काल गोंडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मीरा देवी को लखनऊ रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही मीरा देवी की मौत हो गई। घायल देवी दयाल, मीरा की बहू सविता और आशा कार्यकत्री का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

हादसे के बाद मीरा के परिवार में कोहराम मच गया। परिवार नवजन्मी बच्ची की मौत के बाद मातम मना रहा था। उसके बाद मीरा की मौत की खबर सुनकर गांव में चीखपुकार मच गई। मीरा देवी के परिवार में 5 बच्चे थे। जिनमें दो बेटों की मौत हो चुकी है। उनके बेटे ननकू, छोटू और हाकिम खेती किसानी करते हैं। जबकि मीरा के पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है। देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया– ऑटो चालक ने डीसीएम में साइड से टक्कर मारी थी, जिससे मीरा देवी का दाहिना हाथ कट गया। उनकी मौत हो गई। अन्य घायलों का गोंडा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया गया है।

नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि आधुनिक भारत के निर्माता को किया याद

संवाददाता–देवरिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। शहर के टाउन हॉल स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय शेखर मल्ल ने पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने देश में लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच और औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखी। शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों को मजबूत बनाने में उनका योगदान अतुलनीय था। मल्ल ने आगे कहा कि पंडित नेहरू ने देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था दी और विश्व पटल पर भारत की एक अलग पहचान स्थापित की। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बड़े बांधों और सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना कर आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिलाध्यक्ष विजय शेखर मल्ल ने यह भी कहा कि पंडित नेहरू के आदर्श, लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्र निर्माण की सोच आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। कांग्रेस पार्टी उनके विचारों और सिद्धांतों पर चलते हुए जनहित और देशहित में निरंतर कार्य करती रहेगी। इस कार्यक्रम में अरविंद शाही, सुनील कुमार तिवारी, भरत मणि त्रिपाठी, जुलेखा खातून, वरुण राय, संजीव कुमार मिश्रा, चंदन वर्मा, माधव नाथ तिवारी, धर्मेंद्र कुमार पांडेय, शिव शंकर सिंह, मार्कण्डेय मिश्रा, रामप्रवेश सिंह, मनोज मणि, कुलदीप सिंह यादव, रत्नेश मल्ल पिंटू, जवाहरलाल चौहान सत्य प्रकाश मणि, रीता देवी, उत्तेज मिश्रा, पन्नालाल पाठक, विनोद दुबे, ध्रुव प्रसाद आर्य, जवाहरलाल बरनवाल, सोहन मिश्रा, प्रताप दीक्षित, बनारसी लाल गोंड, चंद्रिका मिश्रा, डॉ. सी.पी. चौहान और राजकुमार यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

चलते ट्रक में लगी आग, चालक खलासी ने कूदकर बचाई जान

संवाददाता–कुशीनगर। जिले के पटहेरवा थाना क्षेत्र के फोरलेन स्थित शाही पेट्रोल पंप के पास बुधवार की सुबह उस समय अफरा–तफरी मच गई, जब एक चलती मालवाहक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया, लेकिन चालक और खलासी ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। पश्चिम बंगाल से माल लेकर बरेली जा रहा ट्रक फोरलेन पर शाही पेट्रोल पंप से कुछ दूरी आगे पहुंचा ही था कि अचानक उसमें आग लग गई। चालक राजीव कुमार पुत्र प्रेमप्रकाश (42) निवासी बरेली ने तत्काल ट्रक रोक दिया।

इसी दौरान आग तेजी से फैलने लगी। चालक और खलासी ने तुरंत केबिन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ट्रक अपने पीछे एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को खींचकर ले जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ओवरलोड होने के चलते ट्रक में आग लगी। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मोटर और बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक ट्रक का पूरा केबिन बुरी तरह जल चुका था। पटहेरवा एसओ धीरेन्द्र कुमार राय ने बताया कि चालक और खलासी सुरक्षित हैं तथा समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।

विश्व शांति और जनकल्याण के के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्री लक्ष्मी महायज्ञ का अनुष्ठान आज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। धर्मनगरी अयोध्या में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर विश्व शांति, राष्ट्र समृद्धि एवं सर्वजन कल्याण की भावना को लेकर सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा एवं श्री महालक्ष्मी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। श्री वेंकटेश मंदिर झलारिया मठ के जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री झालरिया पीठाधीश्वर घनश्यामाचार्य महाराज के सान्निध्य में यह धार्मिक अनुष्ठान 28 मई से 3 जून तक पंचकोसी परिक्रमा मार्ग स्थित बड़ा भक्तमाल की बगिया में संपन्न होगा। आयोजन श्रीधर महोत्सव समिति एवं कोटा के एलन मानधना परिवार के तत्वावधान में कराया जा रहा है। जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री घनश्यामाचार्य महाराज ने बताया कि मनुष्य जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि जगत कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज में प्रेम, सद्भाव और शांति की स्थापना ही सनातन संस्कृति का मूल उद्देश्य है। लड़ाई–झगड़े और वैमनस्य के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। विश्व शांति और मानवता के कल्याण के लिए ही यज्ञ, कथा और धार्मिक अनुष्ठानों की परंपरा सनातन धर्म में स्थापित की गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पुरुषोत्तम मास में श्री अवध धाम में आयोजित यह अनुष्ठान विश्व में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा।उन्होंने बताया कि 28 मई को भव्य कलश यात्रा एवं श्रीमद्भागवत कथा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 29 मई से श्री महालक्ष्मी महायज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। यज्ञ की पूर्णाहुति 2 जून को तथा कथा का समापन 3 जून को होगा।आयोजन समिति के अनुसार कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है। कथा एवं यज्ञ में भाग लेने के लिए हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं।ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि झलारिया मठ के देशभर में अनेक प्रमुख केंद्र संचालित हैं, जिनमें श्रीराम पथ स्थित मठ विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

दो सड़क हादसों में एक महिला की मौत, दो युवक गंभीर

संवाददाता–श्रावस्ती। दो अलग अलग सड़क हादसों में महिला की मौत हो गई। वहीं दो युवक गंभीररूप से घायल हो गए। घायलों से सीएचसी से मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। इकौना बाईपास निवासी प्रेम कुमारी (52) के पति राम प्रसाद की मौत हो चुकी है। बुधवार सुबह प्रेम कुमारी बौद्ध परिपथ के किनारे फूल तोड़ने गई थी। इसी बीच किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि महिला के शरीर के चीथड़े उड़ गए और शरीर के अंग काफी दूर तक बिखर गए। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के अवशेष को एकत्र किया। मौके पर मिली चप्पल से आसपास के लोगों ने मृतका की पहचान प्रेम कुमारी के रूप में की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है। वही महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक परमानंद तिवारी ने बताया कि अज्ञात चालक के विरुद्ध केस दर्जकर जांच की जा रही है, जल्द ही चालक को खोजकर जेल भेजा जाएगा। मृतका के चार पुत्र व दो पुत्रियां थीं। इसमें से एक पुत्री की शादी हो गई है। महिला की मौत के बाद बच्चे अनाथ हो गए। इसी तरह से नवीन मॉडर्न पुलिस थाना श्रावस्ती क्षेत्र में बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने वाला अज्ञात बाइक चालक मौके से फरार हो गया। घायलों की पहचान 22 वर्षीय कार्तिकेय मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा निवासी मोहल्ला अकबरपुरा नई बस्ती जनपद बहराइच और 25 वर्षीय अनिल पाठक पुत्र विश्वनाथ पाठक निवासी बसंतपुर थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच के रूप में हुई है। दोनों युवक बहराइच से मोटर साइकिल से बलरामपुर किसी काम से जा रहे थे। जैसे ही नवीन मॉडर्न पुलिस थाना क्षेत्र के ट्यूलिप होटल कटरा बाईपास के पास पहुंचे तभी पीछे से आ रही एक अज्ञात बाइक सवार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया।

अवैध खनन पर 71 वाहन सीज, पुलिस–प्रशासन ने दो दिन में की बड़ी कार्रवाई

संवाददाता–महराजगंज। अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दो दिनों के भीतर कुल 71 वाहनों को सीज किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान का हिस्सा थी। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसमें संवेदनशील स्थानों, नदी तटों, निर्माणाधीन क्षेत्रों और खनन प्रभावित इलाकों को शामिल किया गया। जांच के दौरान अवैध रूप से मिट्टी और बालू खनन तथा उनके परिवहन में लगे वाहनों पर विशेष ध्यान दिया गया। जिन वाहनों के चालकों और स्वामियों ने आवश्यक दस्तावेज या खनन अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किए, उन्हें तत्काल सीज कर दिया गया। यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई।

पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 26 मई को 13 ट्रैक्टर–ट्रॉली, सात लोडर, दो जेसीबी मशीन और दो डम्पर सीज किए गए। अगले दिन, 27 मई को अभियान को और तेज करते हुए 32 ट्रैक्टर–ट्रॉली, पांच लोडर, दो जेसीबी मशीन, पांच डम्पर, एक ट्रक, एक पिकअप और एक दोपहिया वाहन पर कार्रवाई की गई। इन दो दिनों की कार्रवाई में कुल 45 ट्रैक्टर–ट्रॉली, 12 लोडर, चार जेसीबी मशीन, सात डम्पर, एक ट्रक, एक पिकअप और एक दोपहिया वाहन शामिल हैं, जिन्हें सीज किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान वाहन चालकों और स्वामियों से खनन अनुमति, परिवहन प्रपत्र और अन्य आवश्यक अभिलेख मांगे गए थे। हालांकि, वे संतोषजनक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। इसके बाद सभी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार सीज की कार्रवाई की गई और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने इस संबंध में कहा कि अवैध खनन से न केवल शासन को राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होता है। उन्होंने जोर दिया कि इसे रोकने के लिए पूरे जनपद में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अवस्थी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने–अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने और अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

घर–घर बिजली चेकिंग अभियान बना बवाल, महिलाओं ने खोला मोर्चा, बुलानी पड़ी पुलिस

संवाददाता–बलरामपुर। बिजली को लेकर मचे हाहाकार के बीच घर–घर चेकिंग अभियान विभाग के लिए जी का जंजाल बन गया है। इसे लेकर बवाल भी शुरू हो गया है। बलरामपुर में घर–घर चेकिंग के लिए पहुंचे बिजली कर्मचारियों के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। जेई और विभाग की टीम पर पुरुषों की गैरमौजूदगी में घर में घुसने और महिलाओं से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया। लोगों का आक्रोश देख 112 पर फोन कर पुलिस को भी बुला लिया गया। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर बिजली विभाग के खिलाफ डीएम से शिकायत कर दी है। मामला ललिया थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुर बहादुरगंज का है। बिजली विभाग चोरी पकड़ने के लिए अभियान चला रहा है। इसी के तहत अधिकारियों के निर्देश पर घ–घर बिजली चेकिंग हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार विभागीय टीम ने कई घरों में उस समय बिजली जांच की, जब घरों में पुरुष सदस्य मौजूद नहीं थे और केवल महिलाएं थीं। आरोप है कि बिना अनुमति घरों में घुसकर जांच की गई, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई का दबाव बनाकर लोगों को डराने–धमकाने का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि पूर्व में भी क्षेत्रीय जेई की कार्यशैली को लेकर उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, क्षेत्रीय जेई अजीत सिंह ने सभी आरोपों को निराधार और मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि विभागीय टीम नियमानुसार जांच अभियान चला रही थी और कुछ लोग कार्रवाई से बचने के लिए गलत आरोप लगा रहे हैं। बिजली विभाग के एसडीओ राजेश कुमार ने बताया कि बिजली विभाग एवं विजिलेंस की संयुक्त टीम बहादुरगंज में जांच अभियान चला रही थी, जहां कुछ उपभोक्ता नियम विरुद्ध तरीके से बिजली का उपयोग करते पाए गए। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान कुछ लोग आक्रोशित होकर टीम को घेरने लगे थे। डायल 112 पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति सामान्य हुई। ग्राम प्रधान अरुण कुमार मिश्र, आकाश कुमार, राकेश कुमार, धर्म प्रकाश, सुशील वर्मा, मनोज कुमार, राम प्रताप, आदित्य राम, किफायत रहमान और रामदेव सहित कई ग्रामीणों ने अब जिलाधिकारी का भी दरवाजा खटखटाया है। उनसे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है।

डीजल बिक्री पर नए नियम, कालाबाजारी रोकने को प्रशासन अलर्ट, कैन में 5 लीटर की सीमा तय

संवाददाता–महराजगंज। डीजल–पेट्रोल की लंबी कतारों, अवैध भंडारण और कालाबाजारी की शिकायतों के मद्देनजर जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के साथ अधिकारियों की बैठक की। बैठक में ईंधन वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में डीजल और पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता है, और कृत्रिम संकट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और क्षेत्राधिकारियों को डीजल–पेट्रोल के अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री में शामिल लोगों को तुरंत चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अफवाहें फैलाकर और अवैध रूप से ईंधन जमा करके बाजार में अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए कि अब पेट्रोल पंपों पर डिब्बे में अधिकतम पांच लीटर डीजल ही दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बिना नंबर प्लेट वाले या संदिग्ध वाहनों को डीजल–पेट्रोल देने पर पूरी तरह रोक रहेगी। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनपद के सभी पेट्रोल पंपों के संचालन का समय भी निर्धारित किया है। अब सभी पेट्रोल पंप प्रतिदिन सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक ही खुले रहेंगे। निर्धारित समय के बाद किसी भी स्थिति में तेल की बिक्री नहीं की जाएगी, और इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने सीमावर्ती थाना प्रभारियों को अवैध डीजल–पेट्रोल बिक्री करने वालों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और अवैध भंडारण में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सभी तहसीलों में विशेष अभियान चलाने और खासकर रात के समय निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।

महिला सुरक्षा अभियान, पुलिस की गांवों में चेतावनी

संवाददाता–बलरामपुर। मिशन शक्ति अभियान 5.0 (द्वितीय चरण) के तहत महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने गांवों, कस्बों और चौपालों तक पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि दहेज, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, साइबर ठगी और महिला उत्पीड़न जैसे अपराध अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यह जागरूकता अभियान विकास कुमार के निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चलाया गया। मिशन शक्ति टीम और एंटी रोमियो स्क्वॉड ने संयुक्त रूप से इसमें भाग लिया। महिला बीट अधिकारियों ने गांवों में चौपाल लगाकर महिलाओं की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू कराई। अभियान के दौरान पुलिस ने महिलाओं और किशोरियों को बताया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि कानूनी अपराध है। इसी तरह, दहेज लेना और देना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस टीमों ने महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनी सुरक्षा और विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी दी। उन्हें अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में 'गुड टच–बैड टच', घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे नए अपराधों पर विशेष चर्चा हुई। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी कि साइबर अपराधी अब महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाकर डर और लालच के जरिए ठगी कर रहे हैं, इसलिए किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑनलाइन धमकी की तत्काल शिकायत करें।

पुलिस को ई–साक्ष्य ऐप पर विशेष प्रशिक्षण

संवाददाता–श्रावस्ती। जनपद में अपराध विवेचना को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस कार्यालय सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में ई–साक्ष्य ऐप पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में जनपद के विभिन्न थानों से लगभग 30 उपनिरीक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को अपराध स्थल पर रियल–टाइम वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग, डिजिटल साक्ष्यों के वैज्ञानिक संग्रहण तथा उन्हें क्लाउड पर सुरक्षित अपलोड करने की व्यावहारिक जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि ई–साक्ष्य ऐप नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुरूप विकसित किया गया है। यह ऐप विवेचना प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और न्यायालय में साक्ष्यों को सशक्त रूप से प्रस्तुत करने में सहायक होगा। प्रशिक्षण सत्र में ऐप के प्रभावी उपयोग, एसआईडी जनरेशन, चेन ऑफ कस्टडी बनाए रखने और सामान्य तकनीकी समस्याओं के समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ई–साक्ष्य ऐप पुलिस विवेचना प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

पुरुषोत्तम मास में चल रही श्री राम कथा में शिव विवाह सुन मंत्रमुग्ध हुए लोग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। पुरुषोत्तम मास को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में इस पावन माह में जगह–जगह धार्मिक अनुष्ठानों और कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अयोध्या के खाले का पूरवा स्थित श्री गुरु कृपा कुंज के पीठाधीश्वर महंत मोहित शरण जी महाराज के सान्निध्य में श्री कनक महल में नवाह पारायण एवं श्रीराम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा में बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के राधेश्याम वर्मा तथा मुंबई, महाराष्ट्र के राजीव कामरा अपने दर्जनों सहयोगियों के साथ यजमान के रूप में सहभागिता निभा रहे हैं।महंत मोहित शरण जी महाराज ने कथा के दौरान कहा कि सभी धार्मिक अनुष्ठान श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन यदि तीर्थराज अयोध्या में पुरुषोत्तम मास के दौरान अनुष्ठान संपन्न हो तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा और भक्तों के आग्रह पर यह आयोजन संपन्न हो रहा है, जिसके लिए वह ठाकुर जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज की कथा में मणिरामदास छावनी के उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। श्रीराम कथा में महंत मोहित शरण जी महाराज ने शिव–पार्वती विवाह प्रसंग का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में तीन प्रमुख विवाहों का वर्णन किया है, जिनमें भगवान शिव–माता पार्वती तथा प्रभु श्रीराम का विवाह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा भाव से शिव विवाह कथा का श्रवण करने वाले भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है और उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं।कथा के विश्राम बेला में उन्होंने जानकारी दी कि गुरुवार को भगवान श्रीराम जन्मोत्सव प्रसंग का विशेष वर्णन किया जाएगा।कथा के यजमान राजीव कामरा ने कहा कि गुरु महाराज के आशीर्वाद और भगवान की असीम कृपा से उन्हें श्री अवध धाम में कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम मास में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में सहभागी बनना उनके लिए पुण्य का विषय है। उन्होंने राधेश्याम वर्मा के निर्देशन और सहयोगियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह सब गुरु कृपा और भगवान की अनुकंपा का परिणाम है।आयोजकों के अनुसार श्रीराम कथा का आयोजन 31 मई तक चलेगा।

साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

संवाददाता–महराजगंज। साइबर ठगी की धनराशि निकालने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस अभियान का मार्गदर्शन नोडल अधिकारी साइबर क्राइम थाना और अपर पुलिस अधीक्षक महराजगंज ने किया, जबकि क्षेत्राधिकारी फरेंदा दीपशिखा के पर्यवेक्षण में टीम ने प्रभावी कार्रवाई की। साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। हालांकि, गिरोह से जुड़े दो अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर प्रयास कर रही हैं। पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्त लोगों को डॉलर एक्सचेंज कर भारतीय मुद्रा उनके खातों में भेजने का झांसा देते थे। इस तरीके से वे साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को अपने और अपने परिचितों के खातों में मंगाकर उसकी निकासी कर लेते थे। निकाली गई धनराशि को वे आपस में बांट लेते थे।

एनसीसी कैडैट्स को सेना में भर्ती प्रक्रिया और तैयारी के मंत्र दिए गए

संवाददाता–बलरामपुर। 51वीं यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में जवाहर नवोदय विद्यालय में दस दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसके आठवें दिन बुधवार को सैन्य भर्ती जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना के प्रति समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैंप कमांडेंट एवं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अरविंद प्रताप सिंह पटवाल ने की। इसमें आर्मी कोचिंग सेंटर गोरखपुर के अमरेन्द्र मिश्र ने कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना केवल नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, साहस और सम्मान का सबसे बड़ा मंच है। उन्होंने अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती की प्रक्रिया समझाई। मिश्र ने बताया कि इसके लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित है तथा अभ्यर्थी का न्यूनतम 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा शामिल होती है। अमरेन्द्र मिश्र ने कैडेटों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि युवा नियमित दौड़, व्यायाम और खेलकूद को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तथा सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की मजबूत तैयारी करें तो सेना में चयन का सपना आसानी से साकार हो सकता है। उन्होंने कहा, "देश की वर्दी पहनने का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है।"

कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अरविंद प्रताप सिंह पटवाल ने भी कैडेटों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और कठोर परिश्रम से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने यह भी कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और जो युवा देशसेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं, सफलता स्वयं उनके कदम चूमती है।

शिविर के दौरान कैडेटों को सेना में जवान एवं अधिकारी बनने के लिए आवश्यक जानकारियां, चयन की रणनीतियां और मानसिक एवं शारीरिक तैयारी के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम ने कैडेटों के भीतर राष्ट्रसेवा का जोश और सेना में जाने का उत्साह और अधिक प्रबल कर दिया।

सड़क हादसे मे बाइक चालक की मौत, दो घायल

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के पल्टादेवी मार्ग पर रमवापुर नानकार गांव के पास बुधवार दोपहर एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। यह हादसा एक ई–रिक्शा से बाइक के टकराने के कारण हुआ।

मृतक की पहचान गुजरौलिया टोला करहिया निवासी कृष्णा भारती (26 वर्ष) के रूप में हुई है। वह अपनी बाइक पर महादेवा नानकार निवासी साले दीपक (20 वर्ष) पुत्र रमेश और ढेबरूआ ग्राम खजुरिया निवासी वीरेंद्र कुमार वीरू (19 वर्ष) पुत्र रमेश को बैठाकर रमवापुर चौराहा जा रहे थे। कृष्णा भारती दो दिन पहले हुई अपने चाचा की लड़की की शादी में शामिल होने आए थे।

रमवापुर चौराहा के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ई–रिक्शा से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शोहरतगढ़ पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर बाइक चला रहे कृष्णा भारती को मृत घोषित कर दिया गया। दीपक और वीरेंद्र का इलाज जारी है। दुर्घटना की खबर महादेवा नानकार और करहिया गांव में पहुंचते ही कृष्णा के परिजन सीएचसी शोहरतगढ़ पहुंचे। कृष्णा के परिवार में उनकी पत्नी पिंकी और दो वर्षीय पुत्र हैं। थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रमवापुर नानकार के पास सड़क दुर्घटना में तीन युवक घायल हुए थे, जिनमें से बाइक चालक कृष्णा भारती की मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण पत्रकारिता दिवस पर आयोजित गोष्ठी में पत्रकारों की चुनौतियों पर विचार मंथन

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की 39वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को टाटा मोटर्स एसपी ऑटो व्हील्स गोटवा के सभागार में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण पत्रकारिता दिवस के रूप में किया गया। इस अवसर पर "वर्तमान परिवेश में पत्रकारों के समक्ष चुनौतियां" विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें वक्ताओं ने पत्रकारिता के समक्ष मौजूद चुनौतियों और उनके समाधान पर सारगर्भित विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के संरक्षक अखिलेश दुबे, कैलाश नाथ दूबे, मंडल अध्यक्ष डॉ. बलराम त्रिपाठी तथा अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। इसके बाद जनपद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बाबू बालेश्वर लाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष डॉ. बलराम त्रिपाठी ने कहा कि बाबू बालेश्वर लाल ने पत्रकारों की समस्याओं, संघर्षों और चुनौतियों को बहुत करीब से महसूस किया था। इसी उद्देश्य से उन्होंने संगठन की नींव रखी, जो आज एक वटवृक्ष के रूप में विकसित हो चुका है। उन्होंने कहा कि संगठन लगातार पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत है तथा पत्रकारों से जुड़े मुद्दों पर हर स्तर पर लड़ाई लड़कर सफलता प्राप्त की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संरक्षक अखिलेश दुबे ने कहा कि समाज को आज भी पत्रकारिता से बड़ी उम्मीदें हैं। जब समाज का अंतिम व्यक्ति हर स्तर से निराश हो जाता है, तब वह पत्रकारिता और पत्रकार के माध्यम से न्याय की लड़ाई लड़ता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष हर क्षेत्र में होता है, लेकिन जो संघर्ष करता है वही अपने सम्मान और समाज के हितों की रक्षा कर पाता है।

संरक्षक कैलाश नाथ दूबे ने कहा कि संगठन जिले में लगातार पत्रकार हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जब भी पत्रकारों के मान–सम्मान और अधिकारों की बात आती है, संगठन मजबूती से उनके साथ खड़ा रहता है। उन्होंने बाबू बालेश्वर लाल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यक्रम को महामंत्री विवेक मिश्र, अनिल पांडेय, तहसील सदर अध्यक्ष डॉ. अजीत मणि त्रिपाठी, तहसील अध्यक्ष हरैया राजेश सिंह विसेन, तहसील अध्यक्ष रुधौली अरुण मिश्र, जनार्दन पाण्डेय, हरिशंकर पांडेय, धनीश त्रिपाठी, दिनेश शुक्ल, राम प्रगट सिंह, अवधेश कुमार सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री पंकज त्रिपाठी ने किया। संचालन के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हमेशा पत्रकारों के मान–सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का सजग प्रहरी होता है और संगठन हर परिस्थिति में पत्रकार साथियों के सम्मान और हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ता रहेगा। उन्होंने पत्रकारों से एकजुट होकर निष्पक्ष, निर्भीक और जनहित की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर राम प्रगट सिंह, सत्य प्रकाश शुक्ल, अनिल कुमार त्रिपाठी, सत्यदेव शुक्ल, आनंद धर द्विवेदी, सूर्यनारायण उपाध्याय 'भावुक', डॉ. शैलेंद्र त्रिपाठी, के.डी. मिश्र, रवीश मिश्र, विवेक पाण्डेय, रवि उपाध्याय, सुशील दूबे, ज्ञान चंद द्विवेदी, मोहम्मद इमरान, मनोज सिंह, विनय पाठक, राधेश्याम यादव, रूबल कमलापुरी, दिनेश कुमार पटेल, कल्याणचंद चौरी, सहित बहुत से पत्रकार साथी उपस्थित रहे।

चेयरमैन ने ईदगाहों का निरीक्षण किया

संवाददाता—संतकबीरनगर। बकरीद (ईद–उल–अजहा) पर्व को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल ने बुधवार को नगर क्षेत्र के विभिन्न ईदगाहों का निरीक्षण किया। त्योहार से एक दिन पहले उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने ईदगाहों में साफ–सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि नमाज से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त कर ली जाएं, ताकि नमाजियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बकरीद का त्योहार आपसी भाईचारे, प्रेम, सौहार्द और त्याग का संदेश देता है। यह पर्व गंगा–जमुनी तहजीब और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि सभी लोग मिल–जुलकर शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाएं और प्रशासन का सहयोग करें। नगर पालिका अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। सुरक्षा एवं सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका की टीम लगातार निगरानी कर रही है, ताकि नागरिकों को कोई परेशानी न हो। स्थानीय लोगों ने भी नगर पालिका द्वारा की जा रही तैयारियों की सराहना की और प्रशासन को सहयोग का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान अब्दुल्ला खान, सभासद असलम अंसारी, पंकज बाबू, उमेश बाबू, शहाबुद्दीन, नबीउल्लाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

जिले में 10 घंटे बंद रहेंगे पंप, कार में 20 लीटर डीजल, बाइक में 3 लीटर पेट्रोल लिमिट

संवाददाता—संतकबीरनगर। जिले में प्रशासन ने पेट्रोल पंपों को हर रोज 10 घंटे बंद रखने का आदेश दिया है। जिला के आपूर्ति पदाधिकारी ने पेट्रोल पंपों को सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक चलाने कहा है। इसके साथ ही तेल संकट और खेती में डीजल की खपत के बीच संतुलन बनाने के लिए बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कार और बाइक समेत सभी वाहनों के लिए पेट्रोल–डीजल की बिक्री की अधिकतम मात्रा भी लिमिट कर दी है। प्रशासन ने डिब्बा में डीजल बिक्री की अधिकतम सीमा 15 लीटर तय की है, जबकि पेट्रोल किसी सूरत में गाड़ी के अलावा किसी गैलन या जरिकेन में नहीं दिया जाएगा। किसानों को गैलन में डीजल फार्मर रजिस्ट्री में उसका नाम देखकर ही देने कहा गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव कुमार ने 25 मई को जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश जारी कर नई व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन करने कहा है। डीएसओ ने 23 मई को तेल संकट के मसले पर डीएम के साथ हुई बैठक का हवाला देते हुए आदेश दिया है कि पेट्रोल पंप अब एक दिन में सिर्फ 14 घंटे ही संचालित होंगे। सुबह 7 बजे खुलेंगे और रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। किसानों के अलावा सबको गाड़ी में ही तेल देने कहा गया है। किसान को भी अधिकतम 15 लीटर डीजल दिया जाएगा, वो भी किसान बही से उनकी पहचान करके। डीएसओ ने पेट्रोल–डीजल की राशनिंग करते हुए कहा है कि भारी वाहन (ट्रक, बस) को 30 से 40 लीटर तक तेल ही दिया जाएगा। हल्के वाहन (कार, जीप) को अधिकतम 15 से 20 लीटर पेट्रोल या डीजल मिलेगा। ट्रैक्टर और ट्रॉली को 30 लीटर तक डीजल मिल पाएगा। बाइक–स्कूटी को पेट्रोल अधिकतम 3 लीटर दिया जाएगा। वहीं गैलन या जरीकेन में सिर्फ डीजल की बिक्री अधिकतम 15 लीटर तक की जा सकती है।

आग में झुलसने से महिला की मौत, मायके पक्ष ने लगाया दहेज के लिए जलाने का आरोप

संवाददाता—संतकबीरनगर। जिले के महुली थाना क्षेत्र के ग्राम बघाड़ी उर्फ परसादीपुर में बुधवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। महिला के मायके पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर हाथ बांधकर जिंदा फूंक देने का गंभीर आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पति, जेठ और जेठानी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के उस्का खुर्द निवासी दुर्गा प्रसाद यादव की पुत्री माया देवी की शादी 16 फरवरी 2020 को महुली क्षेत्र के बघाड़ी उर्फ परसादीपुर निवासी रमेश यादव पुत्र राम फेर यादव के साथ हुई थी। बुधवार को माया देवी संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर गंभीर रूप से झुलस गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गांव में भारी भीड़ जुट गई। मया के मायके पक्ष के लोग भी बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान मायके और ससुराल पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। माया के पिता दुर्गा प्रसाद यादव तथा भाई विजय यादव ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पति, जेठ और जेठानी दहेज में कार की मांग को लेकर माया को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप है कि शनिवार को साजिश के तहत माया देवी का हाथ बांधकर उन्हें जिंदा जला दिया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी अभय नाथ मिश्र तथा महुली थानाध्यक्ष दुर्गेश पाण्डेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझा–बुझाकर शांत कराया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण नमूने एकत्र किए हैं।

पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। मृतका के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस एहतियात के तौर पर निगरानी बनाए हुए है। एएसपी सुशील कुमार सिंह ने कहा कि मामले की सूचना पर पहुंच पुलिस ने जांच की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जएगी।

नवजात की मौत मामले में जांच समिति गठित

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। इटवा कस्बे स्थित एक निजी अस्पताल में कथित चिकित्सीय लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ के ऑपरेशन करने का आरोप लगा है। इटवा पुलिस ने पीड़िता के पति की तहरीर पर अस्पताल संचालक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले की जांच के लिए समिति गठित की है। घटना 23 मई 2026 की बताई जा रही है। थाना इटवा क्षेत्र के ग्राम सहदेडया निवासी चंद्रमणी के अनुसार उनकी पत्नी वंदना को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। हालत गंभीर होने पर वह रात करीब 11 बजे उन्हें लेकर इटवा स्थित जनता सेवा हॉस्पिटल पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने सुरक्षित प्रसव और महिला डॉक्टर की उपलब्धता का भरोसा देकर भर्ती कर लिया।

पीड़ित पति का आरोप है कि अस्पताल में बिना किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की मौजूदगी के ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। प्रसव से पहले न तो समुचित जांच की गई और न ही प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ, सर्जन, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

परिजनों के मुताबिक ऑपरेशन के बाद जन्मे नवजात की सही तरीके से देखभाल नहीं की गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं प्रसूता वंदना की हालत भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

मामले की जानकारी मिलने पर इटवा पुलिस ने चंद्रमणी की तहरीर के आधार पर अस्पताल संचालक और संबंधित स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अस्पताल के दस्तावेज, ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों और प्रसव प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। उधर, मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रजत कुमार चौरसिया ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

गठित समिति में डॉ. आर.जी. सिंह (अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसीएच), डॉ. आशीष कुमार अग्रहरी (उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी) और डॉ. संदीप कुमार द्विवेदी (अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा) को शामिल किया गया है। जांच टीम अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं, चिकित्सकीय मानकों, ऑपरेशन प्रक्रिया और ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ की भूमिका की समीक्षा करेगी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जिले में निजी अस्पतालों की व्यापक जांच कराने और मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों स्तरों पर जांच जारी है।

नाबालिग से दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन के आरोप में युवक गिरफ्तार

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोपों के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। यह मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता पक्ष की तहरीर पर करीब एक सप्ताह पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी। प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में शोहरतगढ़ पुलिस को बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली। बताया गया कि मामले में वांछित आरोपी डुहिया नाला पुल के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इम्तियाज उर्फ राज पुत्र मोहम्मद रशीद, निवासी वार्ड नंबर 11 रघुनाथ नगर, कस्बा व थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, पॉक्सो एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी से हिरासत में पूछताछ की और आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक संतोष यादव, हेड कांस्टेबल प्रभाकर यादव और हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार यादव शामिल थे। सीओ शोहरतगढ़ मैयंक द्विवेदी ने कहा कि महिलाओं और नाबालिगों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर गोष्ठी का आयोजन

संवाददाता—संतकबीरनगर। खलीलाबाद के गोला बाजार में स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि जिला अध्यक्ष प्रवीण चंद पाण्डेय के नेतृत्व में मनाई गई। इस अवसर पर पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण चंद पाण्डेय ने पंडित जवाहर लाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने स्वतंत्र भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया। आजादी के बाद देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, तब महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने सत्ता की बागडोर नेहरू को सौंपी। पाण्डेय ने आगे कहा कि नेहरू जी ने अपनी मजबूत विदेश नीति के दम पर भारत को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने देश में एम्स, आईआईटी, इसरो, विश्वविद्यालय और भाखड़ा नांगल बांध जैसी तमाम योजनाएं देकर आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह सभी संस्थाओं को उद्योगपतियों के हाथों बेचकर नेहरू जी को दोषी ठहरा रही है। पाण्डेय ने कहा कि भाजपा देश में नफरत की राजनीति कर रही है, जिसे कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में सफल नहीं होने देगी। इस गोष्ठी में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार पाण्डेय, शांति देवी, अजय सिंह, अरुण पांडे, राजीव गोंड, संजय चौरसिया, जमुना प्रसाद, अभिषेक, दीपक सिंह, फैजान खान, मोहन अंसारी, जमशेद अख्तर, इबरार अहमद, अयाजुल हक, सहारे आलम और परवेज अख्तर सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय—श्रीमान द्वितीय अपर जिला जज महोदय बस्ती जिला बस्ती
M.C.A.N0 139/2021
श्रीमती मुहुरता
बनाम
सीताराम (मृतक) आदि
1/1 रामतिलक यादव 1/2 रामधीरज यादव 1/3 रामनन्द यादव पुत्रगण स्व0 सीताराम समस्त निवासी ग्राम सिरकोहिया तप्पा रतनपुर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 17—07—2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 17 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत— श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) डुमरियागंज जिला सिद्धार्थनगर
प्रकीर्ण वाद संख्या— 49/2025
मूलवाद सं0—290/2023
शकुन्तला आदि
बनाम
राजेश आदि
1. राजेश उम्र 53 वर्ष 2. चैतू उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्रगण जोखन साकिनान मड़हली तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील डुमरियागंज जिला—सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 17—07—2026

दरख्वास्त मुसम्मा हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 17 माह 07 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 22 माह 05 सन 2026 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत— श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्ण वाद संख्या— 104/2025
घनश्याम आदि
बनाम
राधेश्याम आदि
1/2 हरिमोहन उम्र लगभग 39 साल 1/3 कृष्णमोहन उम्र लगभग 32 साल पुत्रगण राधेश्याम साकिनान सपहा तप्पा पिपरा परगन नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 27—08—2026

दरख्वास्त मुसम्मा
हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 27 माह 08 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय। मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 27 माह 05 सन 2026 ई0 जारी किया गया। द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय— श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0—132/2024
आनन्द कुमार
बनाम
मदन मुरारी आदि
1. मदन मुरारी उम्र 56 वर्ष पुत्र राममूरत निवासी मौजा नाउडाड तिवारी, तप्पा—हवेली. परगना बस्ती (पूरब), तहसील व जिला—बस्ती
—प्रतिवादी प्रथम वर्ग
2. जितेन्द्र उम्र 43 वर्ष पुत्र धर्मनाथ ग्राम— नाउडाड तिवारी, तप्पा—हवेली, परगना बस्ती (पूरब), तहसील व जिला—बस्ती 3. श्रीमती माया सिंह उम्र 40 वर्ष पत्नी सुनील कुमार निवासी जोगिया कोहल हाल मुकाम ग्राम नाउडाड तिवारी, तप्पा—हवेली, परगना बस्ती (पूरब), तहसील व जिला—बस्ती। 4. श्रीमती महिमा वर्मा उम्र 38 वर्ष पत्नी विनोद वर्मा निवासी ग्राम—मरवटिया, तप्पा—कडर, 5. सुरेन्द्र उम्र 42 वर्ष पुत्र धर्मनाथ ग्राम—नाउडाड तिवारी, तप्पा—हवेली, परगना बस्ती (पूरब), तहसील व जिला—बस्ती 6. अपर्णा उम्र 35 वर्ष पत्नी पंकज कुमार शुक्ला ग्राम—विशुनपुरवा, तप्पा—हवेली, परगना बस्ती (पूरब), तहसील व जिला—बस्ती।
— प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 05—08—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 05 माह 08 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत— श्रीमान सिविल जज (सी0 डि0) बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्ण वाद संख्या— 50/2026
लघु वाद सं0— 01/25
राम प्रसाद
बनाम
श्रीमती दर्शना देवी आदि
1—श्रीमती दर्शना देवी उम्र लगभग 74 साल विधवा पत्नी लल्लू प्रसाद उर्फ जियाऊ 2—राज कुमार उम्र लगभग 54 साल 3—प्रदीप कुमार उम्र लगभग 52 साल 4—संजय कुमार उम्र लगभग 48 साल पुत्रगण— लल्लू प्रसाद उर्फ जियाऊ साकिनान मौजा— पिकौरा बक्स तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला—बस्ती
—सायलान प्रथम वर्ग
5—श्रीमती कलावती उम्र लगभग 76 साल विधवा पत्नी परशुराम 6—अनिल कुमार उम्र लगभग 53 साल 7—संदीप कुमार उम्र लगभग 42 साल 8—दिलीप कुमार उम्र लगभग 39 साल पुत्रगण—परशुराम 9—श्रीमती शीलम उम्र लगभग 41 साल विधवा पत्नी दीपचन्द 10—लाडो उम्र लगभग 16 साल नाबालिग पुत्री दीपचन्द बबलायत शीलम माता हकीकी 11—कंचन उर्फ चंचल आयु लगभग 18 साल पुत्री दीप चन्द साकिनान— बड़ेबन तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला—बस्ती
— सायलान द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 04—07—2026

दरख्वास्त मुसम्मा
हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 04 माह 07 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक—**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक—**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय—
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय—
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय—
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com